

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-183/2024- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० आकृति कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा के दिनांक-14.02.2023 से 04.07.2023 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-14.02.2023 को	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
ii.	दिनांक-15.02.2023 से 14.05.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
iii.	दिनांक-15.05.2023 से 30.06.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
iv.	दिनांक-01.07.2023 से 04.07.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-183/2024-

1364(2)

पटना, दिनांक

1 / 8 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० आकृति कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।